INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.71 (SJIF 2021)

विभिन्न संदर्भों में गांधीजी की शिक्षा से संबंधित अवधारणा का अध्ययन

डॉ. नरेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
जिला: दक्षिण—पश्चिम, घुम्मनहेड़ा,
एस.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
E-mail: nky2013@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/11.2021-73165381/IRJHIS2111010

प्रस्तावना :

महात्मा गांधी जिन्हें हम नवयुग के निर्माता अथवा सृजनकर्ता के रूप में जानते हैं। वास्तव में उन्होंने केवल देश को स्वतन्त्र कराने में ही अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित नहीं किया अपितु देश के नागरिकों में नव—चेतना, नवजागरण एवं नव—शक्ति का विकास करके राष्ट्र का पुनर्निर्माण भी किया। वे अपने जीवन काल में न केवल सत्य एवं अहिंसा के पुजारी बने रहे अपितु एक सफल राजनेता, समाज—सुधारक एवं शिक्षाविद् भी रहे। उन्होंने केवल राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को ही प्रभावित नहीं किया अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी विशेष छाप छोड़ी। गाँधी जी के हर क्षेत्र की कार्यप्रणाली उनके जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने एवं जनसाधारण को आत्म—निर्भर बनाने हेतु राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा योजना को भी प्रस्तुत किया। गाँधी जी की मान्यता थी कि शिक्षा सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक रूप में ही महत्त्वपूर्ण नहीं वरन् व्यावहारिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उनका शिक्षा दर्शन भी उनके जीवन दर्शन का एक प्रतीक है।बात चाहे सत्य की हो या अंहिसा की, मूल्यों की हो या संस्कारिता की, विश्व शांति की हो या मानवाधिकारों की सभी क्षेत्रों में गाँधी जी की शिक्षा से संबंधित अवधारणा अपना एक विशेष महत्त्व रखती है तथा इसी वजह से उन्हें एक महान शिक्षाविद् के रूप में भी जाना जाता ळें

मुख्य शब्द : बुनियादी शिक्षा योजना,स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, स्वावलम्बी शिक्षा, नई तालीम, वर्धा योजना क्रिया—प्रधान पाठ्यक्रम,मानसिक एवं बौद्धिक विकास,मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, सत्य और अंहिसा

विभिन्न संदर्भों में गांधी जी की शिक्षा से संबंधित अवधारणा का अध्ययन :

विभिन्न संदर्भों में गांधी जी की शिक्षा से संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित आधारों एवं पक्षों के आधार पर व्यक्त अथवा वर्णित किया जा सकता है—

१. शिक्षा के सिद्धांतोंसे संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी की शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित अवधारणा वह अवधारणा है जिसके अन्तर्गत गाँधीजी शिक्षा

से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का समावेशन करते हैं; जैसे—शिक्षा बालक के अन्दर मानवीय गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए,शिक्षा बालक की मातृभाषा में दी जानी चाहिए अर्थात् शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए, बालकों की शिक्षा (७ से १४ वर्ष के बालक) नि:शुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए, शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का विकास करने वाली होनी चाहिए, शिक्षा बालक एवं व्यक्ति में सत्य एवं अंहिसा से संबंधित मूल्यों का विकास करने वाली होनी चाहिए, शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है; अपितु व्यवहार का परिमार्जन करने की एक प्रक्रिया है।शिक्षा वही अच्छी है जो बालक के सैद्धान्तिक ज्ञान को बढ़ाने के साथ—साथ उसकी व्यावहारिक क्षमताओं को भी बढ़ाएं।शिक्षा को बालक के मन, हृदय, शरीर एवं आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए, शिक्षा रोजगारपरक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, शिक्षा किसी—न—किसी उद्योग एवं उत्पादन के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उस उद्योग एवं उत्पादन विशेष के साथ शिक्षा का सहसंबंध स्थापित किया जा सके,शिक्षा ऐसी हो जिसे बालक क्रिया एवं अनुभव के माध्यम से आसानी से ग्रहण कर सके, शिक्षा रोजगारन्मुख एवं व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने वाली होनी चाहिए, शिक्षा बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करने वाली होनी चाहिए। गाँधी जी के शिक्षा से संबंधित सिद्धांत वास्तव में वे सिंद्धात हैं जो बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व और उसके सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। गाँधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख ध्येय समाज एवं राष्ट्र के उत्तम नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए।

२. शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित अवधारणा को व्यापक तौर से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त अथवा स्पष्ट किया है। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित उनकी अवधारणा में शामिल हैं—बालक अथवा व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना, जीविकोपार्जन अर्थात् आर्थिक रूप से आत्म—निर्भर होना, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, मानवीय गुणों एवं मूल्यों का विकास करना, सत्य का अनुसरण एवं ईश्वर की प्राप्ति करना, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, व्यावसायिक विकास करना, व्यक्ति के मन, शरीर एवं आत्मा का पूर्ण विकास करना, विभिन्न प्रकार की दास्ताओं से मुक्ति दिलाना, अन्तिम वास्तविकता का अनुभव करना, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान कराना, बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना आदि।

३. बुनियादी शिक्षा योजना से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी की 'बुनियादी शिक्षा योजना' को 'वर्धा योजना' के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे 'बेसिक शिक्षा योजना' की संज्ञा भी देते हैं। गाँधी जी का मानना था कि शिक्षा कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं अपितु उसका आधार हाथ व ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारम्भ करके उसे मानसिक स्तर तक पहुँचाना है और साथ—ही—साथ मानव के हृदय एवं उसकी आत्मा का विकास करना भी है।गाँधी ने अपनी बुनियादी शिक्षा योजना के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत बताए हैं—

- शिक्षा को ७ से १४ वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए नि:शुल्क बनाया जाए जिससे धनी एवं निर्धन सभी वर्गों के बालकों को समान रूप से शिक्षा दी जा सके।
- शिक्षा को अनिवार्य करना जिससे कि सार्वभौमिक स्तर पर सभी को न्यूनतम शिक्षा दी जा सके।
- विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य केन्द्र हस्त—कौशल को बनाना चाहिए जिससे कि सभी

व्यक्तियों अथवा बालकों के अन्दर उत्पादक कौशल को विकसित किया जा सके। उत्पादक कौशल की शिक्षा बौद्धिक विकास का साधन होगी साथ–ही–साथ वह स्वयं में साध्य भी है। यह शिक्षा कई दृष्टि से उपयोगी भी होगी। शैक्षिक दृष्टि से ज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष के साथ–साथ व्यावहारिक पक्ष पर भी बल देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह छात्रों की क्रियाशील प्रवृत्ति को संतुष्ट करेगी, सामाजिक दृष्टि से यह कुशल श्रमिकों का विकास करेगी और सभी शिक्षित व्यक्तियों में यह क्षमता उत्पन्न करेगी कि वे अपना समय समाजोपयोगी कार्यों में व्यतीत कर सकें।

- गाँधी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए। उनका मानना था कि मातृभाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा सरल, सुग्राह्य एवं स्वाभाविक होती है; जबकि विदेशी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अस्वाभाविक एवं क्लिष्ट तो होती ही है लेकिन साथ–ही–साथ उसमें समय और शक्ति का अपव्यय भी होता है।
- बुनियादी शिक्षा स्वालम्बन के सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं चीज़ों आदि का निर्माण एवं उत्पादन करवाया जाता है। जिसे बेचकर वे धनोपार्जन करते हैं तथा जिससे विद्यालय की आय में वृद्धि होती है और जैसे ही शिक्षा में आर्थिक पक्ष जुड़ता है तो छात्र एवं अध्यापक दोनों ही इसे गंभीरता से लेते हैं जिससे कि वे विद्यालय की आय के स्त्रोतों को बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सके। महात्मा गाँधी ने इस सिद्धांत को बुनियादी शिक्षा की कसौटी कहा था। उनका विचार था कि– ''शिक्षा की सफलता की जाँच स्वावलम्बन से न होगी वरन् इस बात से होगी कि वैज्ञानिक विधि से हस्तकौशल सीखने से छात्र की सम्पूर्ण योग्यताएँ विकसित हुई हैं कि नहीं।''
- गाँधी जी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से ऐसे आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहते थे जिनमें व्यक्तिगत गरिमा एवं दक्षता हो और जो सब के साथ मिलजुलकर कार्य कर सकें। उनके अन्दर समाज सेवा का भाव भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों के अन्दर समस्याओं को समझने व उनका हल ढूंढने की क्षमता को विकसित कर सके तथा साथ ही उनके अन्दर अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से संबंधित भावना का भी उचित विकास कर सके।
- गाँधी जी का मानना था कि शिक्षा का आशय है कि बालक को जीवन के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में जागरूक बनाना। स्वच्छता तथा स्वास्थ्य, नागरिकता, कार्य और आराधना, खेल एवं मनोरंजन, ज्ञान एवं व्यैक्तिक विकास ये सब पाठ्यक्रम से अलग विषय नहीं हैं; अपितु समरस एवं संतुलित जीवन विकास की अंत:संबंधित प्रक्रियाएँ हैं। शिक्षा को यदि हम व्यापक संदर्भ में जानने का प्रयास करें तो उसका स्वरूप जीवन से भी व्यापक है।
- शिक्षा के संदर्भ में वर्ष १९४५ में सेवाग्राम के शिक्षा सम्मेलन में गाँधी जी ने नई तालीम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किएं और नई तालीम की चार अवस्थाएँ बताईं जो निम्न प्रकार हैं–
  - ➢ पहली अवस्था– सम्पूर्ण समुदाय की शिक्षा: जिसके अन्तर्गत समुदाय का प्रत्येक सदस्य प्रसन्न, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके।
  - ➢ दूसरी अवस्था– प्री बेसिक शिक्षा: इसमें ७ वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की शिक्षा आती है और इस अवस्था में शिक्षा देने में अविभावक एवं शिक्षक दोनों की मुख्य भूमिका है।
  - ➢ तीसरी अवस्था– बेसिक शिक्षा: इसमें ७ से १५ वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा सम्मिलित

की गई। जिसे वर्धा योजना के अन्तर्गत रखा गया।

- चौथी अवस्था— पोस्ट बेसिक अवस्था: यह बेसिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रारम्भ होगी। जिसमें १८ से २१ वर्ष तक के किशोरों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अपने व्यस्क जीवन के कौटुम्बिक भार को उठा सकें।

- शिक्षा के संदर्भ में गाँधी जी ने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा के द्वारा समाज कल्याण का कार्य किया जाना चाहिए तथा साथ—ही—साथ यह समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने का एक सशक्त साधन एवं माध्यम भी होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के द्वारा एक जातिविहिन एवं वर्गविहिन समाज की कल्पना भी की। इसी कारण गाँधी जी ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया जिसका प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति पर प्रभाव पड़े। उन्होंने शक्ति एवं धन के विकेन्द्रीकरण के लिए ऐसे लोकतान्त्रिक समाज की कल्पना की जिससे कि भारत के प्रत्येक गाँव में कम—से—कम एक विद्यालय जरूर हो। भारतीय परिवेश के अनुकूल बुनियादी शिक्षा योजना का सूत्रपात करना भी गाँधी जी की एक अनुपम देन है।

४. शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी ने शिक्षण पद्धति से संबंधित अपनी अवधारणा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत अथवा स्पष्ट की है; जैसे— करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, लिखने से पहले पढ़ना सीखना, वर्णमाला के अक्षरों को सिखाने से पहले बालक को ड्राइंग सीखाना, अधिगम की प्रक्रिया में समन्वय बनाना अथवा स्थापित करना, शिक्षा के लिए उचित प्रशिक्षण पर बल, उद्योगों को शिक्षा का केन्द्र मानना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए; वहीं दूसरी ओरशिक्षक एवं पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में गाँधी जी का विचार है कि जो अध्यापक पुस्तकों से पढ़ाता है वह अपने विद्यार्थियों को सत्य एवं यथार्थ का ज्ञान नहीं कराता। वह तो स्वयं ही पुस्तकों का दास है। इसलिए गाँधी जी इस बात पर बल देते थे कि कम पाठ्यपुस्तकें अध्यापक एवं छात्रों के लिए होनी चाहिए। उनका विचार था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया—प्रधान होना चाहिए एवं इसका उद्देश्य कार्य, प्रयोग तथा खोज के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना होना चाहिए जिससे कि वह आत्मनिर्भर रहते हुए समाज का उपयोगी अंग बन सके। गाँधी जी ने अपने क्रिया—प्रधान पाठ्यक्रम में मातृभाषा, बेसिक शिल्प, गणित, समाजशास्त्र, कला, संगीत एवं सामान्य विज्ञान आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया है। गाँधी जी के अनुसार बालकों को शिल्प की तथा बालिकाओं को गृहविज्ञान की शिक्षा मिलनी परम आवश्यक है। इस संदर्भ में गाँधी जी का यह विचार है कि विद्यार्थियों को यह विवेक करना आना चाहिए कि क्या चीज़ ग्रहण की जाए और क्या न की जाए। शिक्षक का धर्म है कि वह अपने विद्यार्थियों को विवेक सिखलाएँ।गाँधी जी इस बात में विश्वास करते थे कि बच्चों के लिए आरम्भिक शिक्षा ज्यादातर ज़बानी दी जानी बेहतर है। छोटी उम्र के बालकों पर साधारण ज्ञान प्राप्त कर सकने से पहले वर्णमाला का ज्ञान और पढ़ने की क्षमता थोपना; वो भी ऐसे समय में जबकि उनका मन ताजा होता है; तो यह तो वास्तव में बालक को मौखिक शिक्षा को हज़म करने की शक्ति से वंचित करना है। सच्ची शिक्षा का काम शिक्षा पाने वाले बच्चों के उत्तम गुणों को बाहर लाना है। यह काम छात्रों के दिमाग़ में अनाप—शनाप और अनचाही जानकारी ठूंस देने से कभी नहीं हो सकता। गाँधी जी के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों एवं अवधारणा को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- क्रिया—प्रधान पाठ्यक्रम पर बल अर्थात् पाठ्यक्रम में श्रम के महत्त्व पर बल।
- प्राथमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम ।

- पाठ्यक्रम के विषय— मातृभाषा, गणित, बेसिक शिल्प, समाज—शास्त्र, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, गृहविज्ञान (बालिकाओं के लिए) एवं विज्ञान आदि।
- बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आधारभूत शिल्प; जैसे—लकड़ी का काम, कताई, बुनाई एवं कढ़ाई, मिट्टी का काम, कृषि संबंधी कार्य, चमड़े का काम, बागवानी, मछली पालन एवं स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित कार्य एवं शिल्प आदि।

५. गुरू एवं शिष्य से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी का यह विचार था कि जो व्यक्ति शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में ग्रहण करता है, वह आदर्श अध्यापक नहीं बन सकता। एक अध्यापक आदर्श तभी हो सकता है जब वह इस कार्य को सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। अध्यापक सत्य का आचरण करने वाला, सहिष्णु, ज्ञान का पुंज एवं धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वह चारित्रिक एवं नैतिक गुणों से पूर्ण होना चाहिए। जहाँ तक गुरू एवं शिष्य का संबंध है इस संदर्भ में वह (गुरू) छात्रों की समस्याओं को सुलझाने वाला हो। उसे छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पूर्णतया परिचित होना चाहिए तथा साथ ही उसे छात्रों के व्यक्तित्व के गुणों की भी समुचित जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को छात्रों का मित्र एवं पथ—प्रदर्शक होना चाहिए; वहीं दूसरी ओर छात्रों को नियम, अनुशासन, संयम एवं सदाचारी रहकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने तथा गुरूओं के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए।

गाँधी जी ने शिक्षक के विषय में निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं—शिक्षक का व्यवहार एवं कार्य प्रणाली उत्तम होनी चाहिए, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को शिक्षण का कार्य बड़े ही प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए, शिक्षक चारित्रिक एवं नैतिक गुणों से युक्त (परिपूर्ण) होना चाहिए, शिक्षक छात्रों को स्व—अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, शिक्षक छात्रों की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिस पर छात्रों को पूर्ण विश्वास हो एवं वे उसके समक्ष अपनी हर बात एवं समस्या को स्वतन्त्रता एवं बिना भय के साथ अभिव्यक्त कर सके, शिक्षक को छात्रों के व्यक्तित्व के समस्त गुणों की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करने वाला एवं उन्हें अभिप्रेरित करने वाला होना चाहिए, शिक्षक छात्रों की जिज्ञासाओं को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए, आदि; वहीं दूसरी ओर छात्र के संदर्भ में गाँधी जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं—छात्र अनुशासित, विनयी, त्यागी एवं शांत होना चाहिए, वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने वाला होना चाहिए, छात्र जागरूक होना चाहिए, छात्र को ब्रह्मचारी होना चाहिए, छात्र जिज्ञासु होना चाहिए, छात्र को अनुशासित होना चाहिए, छात्र का व्यवहार एवं चरित्र उत्तम होना चाहिए, आदि।

६. विद्यालय एवं अनुशासन से संबंधित अवधारणा :

शिक्षा से संबंधित अवधारणा के अन्तर्गत विद्यालय के संदर्भ में गाँधी जी के विचारों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक जीवन का एक केन्द्र है, विद्यालय एक लधु समुदाय है, विद्यालय प्रांगण में बालक के सम्पूर्ण विकास पर उचित बल दिया जाना चाहिए, विद्यालय चरित्रवान अध्यापकों का परिचायक होना चाहिए, विद्यालय ऐसी कर्मशालाएँ होने चाहिए जहाँ शिक्षक सेवा भाव एवं पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करें, विद्यालय में समुदाय की विभिन्न क्रियाएँ होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए, विद्यालय आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने चाहिए; वहीं दूसरी ओर अनुशासन के संदर्भ में गाँधी जी ने अपनी अवधारणा को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया

है—शारीरिक दंड एवं दमनात्मक अनुशासन का विरोध, प्रभावात्मक एवं मुक्तयात्मक अनुशासन पर बल, छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक का व्यवहार भी संयमित एवं अनुशासित होना चाहिए तथाथोपा हुआ अनुशासन क्षणिक होता है अर्थात् छात्रों के ऊपर अनुशासन को थोपा नहीं जाना चाहिए।

७. शिक्षा में संस्कारिता एवं नैतिकता से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी का विचार था कि यदि शिक्षा में संस्कार, मूल्य तथा आदर्श नहीं झलकते हो तो वह शिक्षा व्यर्थ है। इसी संदर्भ में काका कालेलकर इनकी शिक्षाओं को सार रुप में प्रस्तुत करते हैं— "उत्पादन का विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, अत्यधिक धन और दरिद्रता से बचाव, सभी धर्मों के लिए समान आदर, समाज में ऊँच—नीच की भावनाओं का त्याग, धन और सम्पत्ति का पूरे मानव समाज के लिए प्रयोग, विलासी जीवन में भौतिक स्तर को कम करके जीवन के नैतिक स्तर को उठाना, प्रतिशोध मूलक सजाओं की समाप्ति और शांति तथा व्यवस्था कायम करने के प्रयत्न में कम—से—कम शारीरिक शक्ति का प्रयोग।" यह कहा जा सकता है कि इनका शैक्षिक दर्शन संस्कार से युक्त है तथा विश्व में भारत की पहचान इनके द्वारा बताए गए मार्ग से अक्षुण रहेगी। देश की अमरता एवं अखण्डता इन्हीं के दर्शन पर आधारित रहेगी; वहीं दूसरी ओर शिक्षा में नैतिकता से संबंधित अवधारणा के संदर्भ में गाँधी जी अपने शैक्षिक दर्शन एवं विचारों में आध्यात्मिक पक्ष को विशेष प्रधानता प्रदान करते हैं। उनके अनुसार बालकों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जो नैतिकता के अनुरूप हों। वास्तव में व्यक्तित्व का विकास भी इसी पर आधारित है। नियमितता, अनुशासन एवं कर्त्तव्यपरायणता आदि मानवीय गुणों का जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है। इसी संबंध में गाँधी जी का कहना था कि— "नैतिक जीवन का और जो अर्थ हो पर यदि वह सत्य पर आधारित नहीं है तो वह नैतिक नहीं हो सकता।" सत्य की विस्तृत व्याख्या करते हुए गाँधी जी कहते हैं— "सत्य वही है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जो मोक्ष के लिए आग्रह का प्रदर्शन नहीं करता है वह मनुष्य नहीं पशु मात्र है।" गाँधी जी के शब्दों में ही—"जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा" सही अर्थों में सत्य पर आधारित मुक्ति का मार्ग है। व्यक्ति अपना जीवन समृद्ध बनाने व दूसरों के जीवन के बारे में अपना दायित्व समझे, इससे बढ़कर शिक्षा का उद्देश्य और क्या हो सकता है। गाँधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में 'मूल्य आधारित' पाठ्यक्रम पर बल दिया।

८. स्त्री शिक्षा से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर रहे। वे स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठम् रचना मानते थे। उनका मानना था कि स्त्री का प्रमुख कार्यक्षेत्र उसका घर होता है तथा घर को सुचारू रूप से चलाने व संतति के पालन—पोषण हेतु उसका शिक्षित होना अनिवार्य है। गाँधी जी मानते थे कि स्त्री न केवल पत्नी, बहन एवं माता है; बल्कि वह ईश्वर की सर्वोत्तम निधि एवं कृत्ति भी है। उसे उन विषयों की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए जिससे कि वह स्वयं के, अपने परिवार के तथा अपने बच्चों के जीवन को सुखी बना सके। गाँधी जी मानते थे कि लड़के एवं लड़कियों को प्रारम्भ में एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिलने चाहिए परन्तु यौवनावस्था में उन्हें पृथक—पृथक रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा जहाँ तक संभव हो स्त्री अध्यापिका के द्वारा ही दी जानी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि स्त्री बच्चों के संवेगों को अच्छी तरह समझ सकती है। स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम को उन्होंने पुरूषों के पाठ्यक्रम से पृथक बताते हुए इस बात पर बल दिया कि स्त्रियों को गृहविज्ञान, साहित्य, कला, संगीत एवं बाल मनोविज्ञान आदि का ज्ञान अनिवार्य रूप से करवाया जाना चाहिए।

९. धार्मिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी की धार्मिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा के अनुसार धर्म के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जो व्यक्ति बुद्धि के अहम् में धर्म से कोई वास्ता नहीं रखने की बात करते हैं, गाँधी जी के अनुसार वे व्यक्ति ऐसे अज्ञानी हैं जो यह तो कहते हैं कि हम श्वास तो लेते हैं लेकिन हमारे पास नाक नहीं हैं। गाँधी जी चाहते थे कि हृदय के भीतर बुद्धि को पवित्र करने वाली वस्तु को सभी मानव पहचाने और इस चैतन्य ज्योति की ओर उन्मुख हो। व्यक्ति का कल्याण धर्म का आचरण करने से ही होता है। धर्म का अर्थ है— ईश्वर के साथ संबंध। गाँधी जी की दृष्टि में ईश्वर सत्य एवं प्रेम है, नीति और सदाचार है, प्रकाश और जीवन का स्त्रोत है, अन्तरात्मा है। गाँधी जी के धर्म का स्वरूप बड़ा ही व्यावहारिक है और वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सरलता से उतारा जा सकता है क्योकि मानव प्रेम और मानव सेवा से भिन्न उनका धर्म नहीं है। इस धर्म से मानव को सब कार्यों के लिए एक नैतिक आधार मिल जाता है। जिसका अभाव होने के कारण आज जीवन व्यर्थ का शोरगुल बनकर रह गया है। शील, अंहिसा, प्रेम, त्याग, अपरिग्रह, अस्तेय ये सब धर्म के रूप हैं। गाँधी जी कहते थे कि— ''मैं मानवोचित आचरण से अलग किसी धर्म को नहीं जानता। धर्म दूसरी सब प्रवृत्तियों को नैतिक आधार प्रदान करता है, जो अन्य किसी प्रकार से उन्हें प्राप्त नहीं होता, वे जीवन को ''निरर्थक शोरगुल और तीव्र भागदौड़'' की भूल—भुलैया बना देते हैं।'' गाँधी जी कहते थे कि मेरे लिए धर्म का अर्थ सत्य और अंहिसा या फिर यह कहिए कि केवल सत्य है, क्योंकि अहिंसा सत्य की खोज का आवश्यक और अनिवार्य साधन होने के कारण सत्य में ही शामिल है। इसलिए जो भी चीज़ इन गुणों के पालन में सहायक होती है वह धार्मिक शिक्षा देने का एक साधन है।

गाँधी जी का विचार था कि धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के सिद्धांतों का अध्ययन भी शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में छात्रों को यह तालीम दी जानी चाहिए कि वे संसार के विभिन्न महान धर्मों के सिद्धांतों को आदर और उदारतापूर्ण सहनशीलता की भावना रखकर समझने और उनकी कद्र करने की आदत डालें। यह काम ठीक ढंग से किया तो इससे उनकी आध्यात्मिक निष्ठा दृढ़ होगी और उन्हें स्वयं अपने धर्म की अधिक अच्छी समझ प्राप्त होने में मदद मिलेगी, परन्तु इस संदर्भ में एक ऐसा नियम है जिसे सब धर्मों का अध्ययन करते समय ध्यान में रखना चाहिए और वह है कि अलग—अलग धर्मों का अध्ययन उनके माने हुए भक्तों की रचनाओं के द्वारा ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई भागवत् पढ़ना चाहता है तो उसे किसी विरोधी एवं आलोचक के किए हुए अनुवाद के जरिए नहीं पढ़ना चाहिए अपितु भागवत् के किसी प्रेमी के द्वारा किए गए अनुवाद के द्वारा ही पढ़ना चाहिए। उसी तरह बाइबल का अध्ययन भक्त ईसाईयों की टीकाओं के द्वारा करना चाहिए। किसी को भी क्षण भर के लिए यह डर नहीं लगना चाहिए कि दूसरे धर्मों के आदरपूर्ण अध्ययन से स्वयं अपने धर्म में श्रद्धा की कमी या कमजोरी आने की सम्भावना है। हिन्दू दर्शनशास्त्र मानता है कि सब धर्मों में सत्य के तत्त्व मौजूद हैं और वह उन सबके प्रति आदर और पूजा की वृत्ति रखने का आदेश देता है।

१०.स्वावलम्बी शिक्षा से संबंधित अवधारणा :

गाँधी जी अपनी शिक्षा की अवधारणा के अन्तर्गत स्वावलम्बी शिक्षा को विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के साथ स्वावलम्बन को जोड़ना जरूरी है। इस संबंध में उनके विचार हैं —''अभी तक हमनें अपने बच्चों को शक्ति—सम्पन्न और उन्नत बनाने का ख्याल किए बिना ही उनके दिमागों में किताबी बातें ठूंसने में ही सारी ताकत लगाई है। अब हमें इसे रोक देना चाहिए तथा हाथ—पैर के काम के जरिए बच्चों को उचित रूप से शिक्षा देने में अपनी शक्ति केन्द्रित करनी चाहिए।'' स्वावलम्बी शिक्षा से आशय है कि— तालीम पा चुकने के बाद बालक अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बन जाए। लेकिन यदि तालीम पा चुकने के बाद भी

बालक स्वावलम्बी नहीं बन पाता तो वह शिक्षा व्यर्थ है। गाँधी जी का विचार था कि गाँवों तक जिस तालीम को हमें पहुँचाना है वह स्वावलम्बी ही होनी चाहिए और उद्योग को केन्द्र में रखकर ही उसे स्वावलम्बी बना सकते हैं। विद्यालयों में जिन उद्योगों की कल्पना गाँधी जी ने की थी उनमें कताई—बुनाई के प्रमुख कार्यों के साथ—साथ सिलाई, कागज़ बनाना, जिल्दसाजी, लकड़ी के विभिन्न कार्य, खिलौने बनाना आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार के कार्यों के लिए बहुत बड़ी पूँजी की आवश्यकता भी नहीं होती एवं इनके जरिये शिक्षार्थी अपनी शिक्षा को स्वावलम्बी बना सकता है। इस प्रकार की शिक्षा से लड़के एवं लड़कियाँ इस योग्य हो सकते हैं कि वे अपने जीवन का निर्वाह आसानी के साथ कर सकें। गाँधी जी शिक्षा को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते थे तथा वे शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साधन के रूप में स्वीकार करते थे।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त आधारों एवं पक्षों की विवेचना के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी जी ने शिक्षा से संबंधित अपनी अवधारणा में विभिन्न पक्षों एवं आधारों को समावेशित किया है; जैसे—शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित अवधारणा, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से संबंधित अवधारणा, शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित अवधारणा, बुनियादी शिक्षा योजना से संबंधित अवधारणा, गुरू एवं शिष्य से संबंधित अवधारणा, शिक्षा में संस्कारिता एवं नैतिकता से संबंधित अवधारणा, स्त्री शिक्षा से संबंधित अवधारणा, धार्मिक शिक्षा से संबंधित अवधारणा, स्वावलम्बी शिक्षा से संबंधित अवधारणा आदि।मानव जीवन से सबंधित सेवा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें गाँधी जी ने कार्य न किया हो। देश को राजनैतिक स्वतन्त्रता दिलाने, समाज में अछूतों का उद्धार करने, वर्ग—विहिन समाज का निर्माण करने और संसार को सत्य, अहिंसा एवं प्रेम का पाठ पढ़ाने तथा शिक्षा को एक विशेष आधार प्रदान करने के लिए ये तब तक याद किए जाते रहेंगे जब तक यह मानव सभ्यता जीवित रहेगी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में महात्माा गाँधी जी की शिक्षा से संबंधित अवधारणा की प्रासंगिकता के आधार पर हम यह बात नि:संदेह कह सकते हैं कि युगसृष्टा के रूप में गाँधी जी ने समूचे विश्व के समक्ष एक नया आयाम एवं आधार प्रस्तुत किया है। उनके शिक्षा से संबंधित मौलिक विचार आज भी न केवल व्यावहारिक है अपितु प्रासंगिक भी है तथा इनकी अपनी एक विशेष महत्ता एवं उपयोगिता है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें अपनाने की और व्यवहार में लाने की।

संदर्भ :

१. गाँधी, एम.के.—विद्यार्थियों से, नवजीवन प्रकाशन. अहमदाबाद, १९५४.

२. गाँधी, एम.के.—सत्याग्रह, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५४.

३. जोशी, बाबूराव—सबके बापू, हिन्दी प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, १९५२.

४. गाँधी, एम.के.—नीति धर्म, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, अहमदाबाद।

५. गाँधी, एम.के.—शिक्षा का माध्यम, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद।

६. गाँधी, एम.के.—बुनियादी शिक्षा, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९५०.

७. गाँधी, एम.के.—टू एजुकेशन, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, १९६२.

८. प्रसाद, उपेन्द्र—गाँधीवादी समाजवाद, नमन प्रकाशन दरियागंज, दिल्ली।

९. बटरोही—इक्कीसवीं सदी में गाँधी, श्याम प्रकाशन, द माल अल्मोड़ा।

१०.गाँधी, एम.के.— ग्रामोद्योग, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, १९६०.

११.नेमा, जी.पी.—गाँधी जी का दर्शन", रिसर्च पब्लिकेशन, दरियागंज, दिल्ली।

१२.गाँधी. एम.के.—बेसिक एजुकेशन, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस अहमदाबाद, १९५१.

१३.दिवाकर, आर.आर.—गाँधी: ए प्रैक्टिकल फिलॉसफर, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, १९६५.

१४.गाँधी, एम.के.—सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, नवजीवन पब्लिशिंग अहमदाबाद, १९८२.

१५.वर्मा, ताराचंद—गाँधी जी और शिक्षा, चिन्मय प्रकाशन, चौड़ा रास्ता जयपुर, १९६९.

१६.गाँधी, एम.के.—नई तालीम की ओर, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, १९५६.

१७.कृपलानी, कृष्ण— गाँधी : एक जीवनी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, १९६७.

१८.मशरुवाला, कि.ध.—शिक्षा के विवेक, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५८.

१९.अशोक (संग्राहक)—गाँधी का विद्यार्थी जीवन, मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९५४.

२०.गाँधी, एम.के.—रचनात्मक कार्यक्रम, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९७३.

२१.मशरुवाला, कि.ध.—शिक्षा का विकास, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५८.

२२.उपाध्याय, हरिभाऊ—बापू के आश्रम में, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, १९५१.

२३.नाटाणी, प्रकाश नारायण—गाँधी दर्शन मीमांसा, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, राजस्थान, २०००.

२४.गाँधी, एम.के.—आर्थिक और औद्योगिक जीवन एवं उसकी समस्या और हल, नवजीवन प्रकाशन, १९६२.

२५.गाँधी, एम.के. (आर.के. प्रभु—संग्राहक)—मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

२६.गाँधी, एम.के.—नान—वाइलेन्स इन पीस एण्ड वार, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद।

२७.गाँधी, एम.के. (रविन्द्र केलकर—संग्राहक)—संरक्षता का सिद्धान्त, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

२८.कृपलानी, आचार्य जे.बी.—महात्मा गाँधी हिज् लाइफ एंड थाट्, भारत सरकार पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १९७०.

२९. गाँधी, एम.के. (भारतन् कुमारप्पा—संग्राहक) — नई तालिम की ओर, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, १९५६.

३०.गाँधी, एम.के. (एस.पी. रुहेला—संग्राहक)—गाँधी आइडियाज् ऑन एजुकेशन, इंडियन पब्लिशर्स इस्टीट्यूट।

३१.गाँधी, एम.के. (भारतन कुमारप्पा—संग्राहक)—अहिंसक समाजवाद की ओर, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।